M(57)

Pclog
12.2.16

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 8 02.2016

क्र. एफ 16-18/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना द्वारा रू. 2855 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में घोषित सुविधाओं का लाभ हेतु अपात्र उद्योगों की सूची के सरल क्रमांक 6 में अंकित केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को सुविधाओं का लाभ नहीं दिये जाने संबंधी प्रावधान को शिथिल करते हुये परियोजना को निम्नानुसार सुविधाओं का लाभ दिया जावे :-

1. **वेट एवं सीएसटी हेतु ब्याज रहित ऋण-** रू. 100 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक ब्याज रहित ऋण की वापसी विस्तार परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक की तिथि के 16वें वर्ष से प्रारंभ होगा। इस हेतु कम्पनी को एमपी ट्रायफेक के साथ पृथक से अनुबंध निष्पादित करना होगा।
2. **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल (मात्र क्रूड आयल) तथा परियोजना में प्रयुक्त होने वाले प्लान्ट एवं मशीनरी पर आरोपित प्रवेश कर से 15 वर्षो के लिये प्रवेश कर से छूट दी जावेगी।
3. **स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति-** मध्यप्रदेश शासन तथा बीओआरएल के मध्य अनुबंध के निष्पादन पर चुकाये गये स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
4. **वर्क्स कान्ट्रेक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति-** विस्तार परियोजना की निर्माणाधीन अवस्था में चुकाये गये वर्क्स कॉनट्रेक्ट टेक्स की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
5. **विद्युत शुल्क से छूट-** 10 वर्षों हेतु छूट दी जावेगी।

   अन्य विस्तार परियोजनाओं में विद्युत भार वृद्धि संबंधी प्रकरणों में विद्युत शुल्क से छूट के परिप्रेक्ष्य में पृथक से नीतिगत प्रस्ताव ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जावे।

M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation
OIC- Mega Projects
09 FEB 2016
Inward No. 8792

6 बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये जाने वाले ऋण हेतु मॉर्टगेज डीड (Mortgage Deed) पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क को क्रमशः रू. 5 लाख एवं रू. 1 लाख तक सीमित रखा जावे।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-18/2015/बी-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 08-02.2016**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/ ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, सागर संभाग, सागर।
6. कलेक्टर, सागर।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लि., सागर।
8. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लि., प्रशासनिक भवन, रिफायनरी परिसर, पोस्ट- बी.ओ.आर.एल. आवासीय परिसर, बीना 470124, जिला सागर।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उप) सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग